


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, GOVERNMENT OF RAJASTHAN MEDICAL AND HEALTH DEPARTMENT ई मित्र द्वारा जारी Disability Certificate (Form-iv) क्रमांक SAP/2017/925924 दिनांक 15.02.2018 की अभिशंषा के आधार पर श्री राम लाल वैष्णव, व्याख्याता अंग्रेजी, राबाउमावि माण्डलगढ, भीलवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 23.12.2020 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/- (अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2019-20 दिनांक : 25/01/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं0स0 माण्डलगढ, भीलवाड़ा
3. प्रधानाचार्य, राबाउमावि माण्डलगढ, भीलवाड़ा को प्रार्थी श्री राम लाल वैष्णव, व्याख्याता अंग्रेजी का मूल विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4. श्री राम लाल वैष्णव, व्याख्याता संस्कृत, राउमावि बपावर कलां, कोटा
5. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर